न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार झिंगोनिया) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./172/2024 जी0सी0एम0एस0 2024/387

1. जगदीश पुत्र माधोराम उर्फ माधू जाति जाट निवासी जेतपुरा तहसील भिनाय, जिला अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाश पुत्र भगवान जाति दरोगा निवासी जैतपुरा तहसील भिनाय, जिला अजमेर
2. कालूराम पुत्र रोडू जाति जाट निवासी काचरियां तहसील भिनाय, जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय भिनाय, तहसील भिनाय जिला अजमेर (राज.)

अप्रार्थीगण

4. सत्यनारायण पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी जेतपुरा तहसील भिनाय, जिला अजमेर
5. रामधन पुत्र माधोराम जाति जाट निवासी जेतपुरा तहसील भिनाय, जिला अजमेर

प्रफोर्मा अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः–22.04.2025

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– श्री देवकान्त व्यास
2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा जैतपुरा पटवार क्षेत्र जैतपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र नान्दसी के खाता सं0 307 में दर्ज खसरा नम्बर 1326 रकबा 0.19 हैक्ट, खसरा नम्बर 1372 रकबा 0.34, खसरा नम्बर 1373 रकबा 0.21, खसरा नम्बर 288 रकबा 2.67, खसरा नम्बर 793 रकबा 0.56 हैक्ट, और खसरा सं0 795 रकबा 0.08 कुल किता 06 कुल रकबा 4.05 हैक्ट और खाता संख्या 508 में दर्ज खसरा नम्बर 1323 रकबा 0.08 हैक्ट, खसरा नम्बर 1327 रकबा 0.30, खसरा नम्बर 1329 रकबा 0.41, खसरा नम्बर 1371 रकबा 0.26, खसरा नम्बर 790 रकबा 0.21 हैक्ट, और खसरा सं0 794 रकबा 1.08 कुल किता 06 कुल रकबा 2.34 हैक्ट जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। प्रफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 04 और 05 का राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार के रूप में दर्ज होने से इनको पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी सं. 01 लगायत 02, द्वारा प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 03 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी बाबत् जारी नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुए। अप्राथी संख्या 01, 02, 04 और 05 की नियमानुसार पत्रावली में तलबी उपरान्त भी अनुपस्थित रहने के कारण अप्राथी संख्या 01, 02, 04 और 05 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार द्वारा प्रश्नगत आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात बताते हुए,

प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होने की टिप्पणी पत्रावली आदेशिका पर अंकित की। पैरोकार सरकार द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं की गई। पत्रावली वास्ते बहस नियत की जाती है। पत्रावली में बहस पत्रावली सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम जैतपुरा के खाता संख्या 508 और 307 संवत 2070–2073(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की सहखातेदारी भूमि होना पाया गया। प्रश्नगत आराजीयात में सहखातेदारों को प्रार्थना–पत्र में प्रफोर्मा अप्रार्थी बनाया गया है। प्रफोर्मा अप्रार्थीगणों द्वारा प्रार्थना–पत्र में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गई है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा जैतपुरा पटवार क्षेत्र जैतपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र नान्दसी के खाता सं0 307 में दर्ज खसरा नम्बर 1326 रकबा 0.19 हैक्ट, खसरा नम्बर 1372 रकबा 0.34, खसरा नम्बर 1373 रकबा 0.21, खसरा नम्बर 288 रकबा 2.67, खसरा नम्बर 793 रकबा 0.56 हैक्ट, और खसरा सं0 795 रकबा 0.08 कुल किता 06 कुल रकबा 4.05 हैक्ट और खाता संख्या 508 में दर्ज खसरा नम्बर 1323 रकबा 0.08 हैक्ट, खसरा नम्बर 1327 रकबा 0.30, खसरा नम्बर 1329 रकबा 0.41, खसरा नम्बर 1371 रकबा 0.26, खसरा नम्बर 790 रकबा 0.21 हैक्ट और खसरा सं0 794 रकबा 1.08 कुल किता 06 कुल रकबा 2.34 हैक्ट** हेतू नायब तहसीलदार नागोला को 500/– रू(पांच सौ रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, अजमेर